उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–486/ix–1/302/07/2013
देहरादून, दिनांक 12 जून, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59 सन 1988) की धारा 111 एवं 211 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0–10 सन 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना सं0–140/ix–1/302/07/2013 दिनांक 06 फरवरी 2013 द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 168 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 168 के उपनियम (6) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) प्रत्येक ऐसे निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी।	(6) उपनियम (5) के अन्तर्गत किसी कैलेण्डर वर्ष में ऐसे प्रथम निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 में विहित फीस के बराबर देय होगी परन्तु उसी यात्रा अवधि में अनुवर्ती निरीक्षण के समय कोई शुल्क नही लिया जायेगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।